Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

2nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002 Ph: 23378164, Fax: 23379513

(Closing Date: 31.08.2014)

GOOD NEWS FOR STUDENTS (MUSLIM, SIKH, CHRISTIAN, PARSI, BUDDHIST & JAIN) OF CLASS I TO CLASS X

SCHEME OF PRE-MATRIC SCHOLARSHIP FOR STUDENTS OF DELHI BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES 2014-15 (FRESH/RENEWAL)

Applications are invited from students of N.C.T. of Delhi belonging to Minority Communities notified by the Central Government (Muslim, Sikh, Christian, Parsi, Buddhist & Jain), pursuing education from class I to Class X in Government/Aided School/Institute or Private School/Institute recognized by approved authority for awarding Pre-Matric scholarship by the Ministry of Minority Affairs, Government of India.

1. Eligible pre-matric minority students studying in schools affiliated to Municipal Corporation of Delhi may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Zone concerned.
2. Eligible pre-matric minority students studying in schools affiliated to N.D.M.C. may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Education Officer (General), Department of Education, 101 Floor, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi.
3. Eligible students studying in Government / Govt Aided Schools affiliated to Dte. of Education may submit their forms to Head of Schools /Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to District concerned. The Dy. Director of the District may in turn submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to Dy. Director (Planning), Old Patrachar Building, Timarpur, New Delhi who is the nodal officer in the matter.
4. Eligible pre-matric minority students studying in schools affiliated to Delhi Cantonment Board may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110010.
5. Eligible pre-matric minority students studying in schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the Office of the Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus, New Delhi.
6. Eligible pre-matric minority students studying in Recognized Public Schools, National Open Schools and other Schools Approved by the Government but not falling under any of the category at 1 to 5 above, may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal to Deputy Director (Scholarship), Department for Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002.

The Scheme is specifically meant for minority students having domicile of N.C.T. of Delhi. The objective of the scheme is to award scholarship to the meritorious students belonging to economically weaker sections of minority communities to enable them to pursue education from Class I to X.

2. CONDITIONS FOR SCHOLARSHIP

(a) Scholarship will be given to the students, pursuing studies from class I to X from Government/aided/recognized private schools/institute.
(b) Maintenance allowance will be credited to the student's personal bank account.
(c) To be eligible, student should have scored not less than 50% marks in the previous final examination. In case of students of Class I, only income criteria would be applicable.
(d) A scholarship holder under the scheme will not avail of any other scholarship/stipend for pursuing the same course from any other agencies.
(e) The annual income, from all sources, of the student's parents or guardian should not exceed ₹**1 lakh**, Inter-selection weightage is to be given to poverty rather than marks.
(f) 30% of scholarship will be earmarked for girl students. In case girl students are not available then the scholarship earmarked for them will be awarded to eligible boy students.
(g) Scholarship will not be given to more than two students in a family.
(h) Students who have been selected for scholarship during 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 successfully advanced to next class may apply for RENEWAL under this scheme.
(i) Bank details of students should be verified by concerned Bank / Branch.

3. NUMBER OF PRE-MATRIC SCHOLARSHIP(S) AVAILABLE FOR N.C.T. OF DELHI (2014-15).
As determined by GOI. Ministry of Minority Affairs

Muslim	Christian	Sikh	Budhist	Jain	Parsi	Total
25150	2019	8607	367	2403	14	38560

4. RATE OF SCHOLARSHIP

Sl.No.	Item	Hosteller*	Day Scholar
1.	Admission fee from class VI and X.	₹500/- per annum subject to actuals.	₹500/- per annum subject to actuals.
2.	Tuition fee from class VI to X.	₹350/- per month subject to actuals.	₹350/- per month subject to actuals.
3.	Maintenance allowance will be payable for a period not exceeding 10 months in an academic year.		
	(i) Class I to V	Nil	₹100/- per month
	(ii) Class VI to X	₹600/- per month subject to actuals.	₹100/- per month

* Hostellers include students who are not staying in hostel in the school/institute concerned or those provided by the State Government/Union Territory.

5. HOW TO APPLY

The application form can be downloaded either from website of Ministry of Minority affairs. Govt. of India (**www.minorityaffairs.gov.in**) or from this Deptt. website (**www.scstwelfare.delhigovt.nic.in**).

6. OTHER CONDITIONS

Individual application shall not be entertained. Head of School must ensure that no eligible minority student is left out and consolidated list of students should be sent to concerned office indicated above. The Nodal Officer of the concerned Department/organization should forward the complete proposal (in soft as well as hard copy as per format being sent separately) to Deputy Director (Sch.), Department for Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, 2nd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi on or before the closing date. Applications received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter, Name of Scheme, year, whether Fresh/Renewal should be clearly indicated.

Secretary
(Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Min.)

DIP/0284/14-15

For further details and application form please log on to the website www.minorityaffairs.gov.in or www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनु. जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 फोन : 23378164, फैक्स : 23379513

(अंतिम तिथि : 31.08.2014)

कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) के लिए अच्छा समाचार

दिल्ली में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2014-2015 (नई/नवीकरण)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन) के छात्रों से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं जो सरकारी/सहायता प्राप्त विद्यालय/संस्थान या अनुमोदित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय/संस्थान में कक्षा 1 से कक्षा 10 के बीच अध्ययनरत हैं।

1. दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित क्षेत्र में समेकित प्रस्ताव जमा करें।
2. नई दिल्ली नगर पालिका से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, 101 तल, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली में समेकित प्रस्ताव जमा करें।
3. शिक्षा निदेशालय से संबद्ध सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्र अपने फार्म विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें। जो सॉफ्ट कॉपी के साथ निर्धारित प्रपत्र में समेकित प्रस्ताव संबद्ध जिला में जमा करें। जिला के उप निदेशक सॉफ्ट कॉपी के साथ निर्धारित प्रपत्र में समेकित प्रस्ताव उप निदेशक (योजना), ओल्ड पत्राचार बिल्डिंग, तिमारपुर, नई दिल्ली के पास जमा करें, जो इस मामले में नोडल अधिकारी हैं।
4. दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली-110010 के कार्यालय में समेकित प्रस्ताव जमा करें।
5. केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनयू परिसर, नई दिल्ली में समेकित प्रस्ताव जमा करें।
6. मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल और सरकार द्वारा अनुमोदित किन्तु उपरोक्त 1 से 5 श्रेणी में न आने वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र पूर्व मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र अपने प्रपत्र विद्यालयों के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप निदेशक (छात्रवृत्ति), अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में समेकित प्रस्ताव जमा करें।

यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिवासी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे कक्षा 1 से 10 तक अपनी शिक्षा जारी करने में समर्थ बनें।

2. छात्रवृत्ति की शर्तें

(क) सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों/संस्थानों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी।

(ख) अनुरक्षण भत्ता छात्रों के व्यक्तिगत बैंक खाते में डाला जाएगा।

(ग) पात्रता पाने के लिए छात्र ने पिछली वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। कक्षा 1 के छात्रों के मामले में केवल आय का मानदण्ड लागू होगा।

(घ) इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक किसी अन्य एजेंसी से इसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाइपैंड का लाभ नहीं उठा सकता है।

(ड.) सभी स्रोतों से छात्र के माता–पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय **एक लाख रु.** से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतर चयन का वेटेज अंकों की तुलना में निर्धनता को दिया जाएगा।

(च) बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। यदि निर्धारित छात्रवृत्ति के लिए बालिकाएं उपलब्ध नहीं हैं तो इन्हें पात्र बालकों को दिया जाएगा।

(छ) एक परिवार के दो से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(ज) जिन छात्रों को 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है और वे सफलतापूर्वक अगली कक्षा में पहुंच गए हैं तो उन्हें इस योजना के तहत नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

(झ) छात्रों के बैंक विवरण को संबद्ध बैंक/ब्रांच से सत्यापित किया जाना चाहिए।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उपलब्ध पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति (यों) की संख्या (2014-15) जैसा कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	कुल
25150	2019	8607	367	2403	14	38560

4. छात्रवृत्ति की दर

क्रम. सं.	मद	छात्रावासी*	डे स्कॉलर
1.	कक्षा 6 और 10 का प्रवेश शुल्क	₹500/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन	₹500/- प्रति वर्ष वास्तविक के अधीन
2.	कक्षा 6 और 10 का ट्यूशन शुल्क	₹350/- प्रति माह वास्तविक के अधीन	₹350/- प्रति माह वास्तविक के अधीन
3.	एक शैक्षिक वर्ष में अधिक से अधिक 10 माह की अवधि के लिए अनुरक्षण भत्ता देय होगा		
	(I) कक्षा 1 से 5	शून्य	₹100/- प्रति माह
	(ii) कक्षा 6 से 10	₹600/- प्रति माह वास्तविक के अधीन	₹100/- प्रति माह

*छात्रावासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित विद्यालय/संस्थान अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दिए गए छात्रावासों में नहीं रहते हैं।

5. आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट **(www.minorityaffairs.gov.in)** या इस विभाग की वेबसाइट **(www.scstwelfare.delhigovt.nic.in)** से डाउनलोड किया जा सकता है।

6. अन्य शर्तें

वैयक्तिक आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय के प्रमुख को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई पात्र अल्पसंख्यक छात्र छूट नहीं जाना चाहिए और छात्रों की समेकित सूची उपरोक्त बताए गए संबंधित कार्यालय में भेजी जानी चाहिए। संबंधित विभाग/संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा सभी प्रस्तावों को (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रति दिए गए फॉर्मेट के अनुसार अलग से भेजी जाए) उप निदेशक (छात्रवृत्ति), अनु जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दूसरा तल, बी–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 के पास समापन तिथि को या इससे पहले अग्रेषित करना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अग्रेषण पत्र पर योजना का नाम, वर्ष, क्या नए/नवीकरण के हैं, स्पष्ट रूप से बताया जाए।

सचिव

DIP/0284/14-15

(अनु. जाति./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

अधिक विवरण और आवेदन पत्र के लिए कृपया वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in या www.scstwelfare.delhigovt.nic.in देखें।